होटल हैयात रब्बानी पर हुये गौ मास के नाम पर हमले को लेकर संगठनो द्वारा महापौर व पुलिस आयुक्त को संयुक्त ज्ञापन

दिनांक : 21.03.2017

श्री अशोक लाहोटी,
महापौर,
जयपुर नगर निगम,
जयपुर।

एवं

श्री संजय अग्रवाल,
पुलिस आयुक्त,
जयपुर।

विषय : होटल हैयात रब्बानी पर हमले, गैर कानूनी गिरफ्तारी व झूठी एफ.आई.आर के मामले में।

महोदय,

19 मार्च 2017 रविवार के दिन, राष्ट्रीय महिला गौरक्षक दल की सादवी कमल दीदी के नेतृत्व में होटल रब्बानी बन्द करवाया गया, होटल में रह रहे मेहमानों को निकाला गया, 2 कमर्चारी गिफ्तार किये गये व एक एफ.आई.आर. धारा 295 आई.पी.सी. लगाते हुये दर्ज की गई। हमारा मानना है कि पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों व साध्वी कमल दीदी के बीच एक गठजोड बना व मिलीभगत कर एक तरफा कार्यवाही की गई।

महज़ शक के आधार पर होटल रब्बानी में गौमास का आरोप लगाते हुये भीड आई और पुलिस के उपस्थिति में होटल के रिसेप्शन पर बैठने वाले वसिम की पीटाई की गई, जिसकी फोटो उपलब्ध है। जब साध्वी कमल दीदी ने मांग रखी कि बिना होटल मालिक नईम रब्बानी से बातचीत करे वे नहीं जायेगी तो सिन्धी कैम्प पुलिस स्टेशन पर पहुंचे नईम रब्बानी व उनके साथी को पुलिस फोन पर होटल पर ही बुलाती है। ऑडियो रिकॉर्डिंग से स्पष्ट है कि उस वक्त बनीपार्क इंचार्ज फोन कमल दीदी को दे देते है जो लगातार यही बोलती रही कि वे उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिलवायेंगी वो उन्हें हर सुरत में होटल पर ही आना होगा। अगर पुलिस किसी जांच बतोर उनकी बात करना चाहती थी तो पुलिस को संवाद करना था न की साध्वी कमल दीदी को और दूसरा भीड में रब्बानी को बुलाने का पुलिस का क्या मकसद था। पुलिस रब्बानी से अगर बात करना चाहती थी तो थाने से बेहतर कौनसी जगह थी। जब रब्बानी को पुलिस ने थाने पर

कोई बातचीत नहीं की और वे निकल गये तो पुलिस उनके पीछे इस तरह ढूढंते हुये पहुंची जैसे कोई बहुत बडे अपराधी को ढूंढ रही हो और पहले जमायते इस्लामी हिन्द के दफ्तर गई, फिर उनके घर सूरजपोल पहुंची और वहां उनके न मिलने पर उनके बहनोई को पकड लाई। इसके साथ होटल के रिशेप्सनीट वासिम व सफाई कर्मचारी दोनों को गिरफ्तार करते हुये सिन्धी कैम्प थाने ले आई। अगर जयपुर के कुछ नागरिक रात में नहीं पहुंचते तो रब्बानी के बहनाई को रातभर बिठाया जाता क्या यह सब पुलिस और गौरक्षक दल के बीच में मिलीभगत नहीं दिखाता तो क्या दिखाता है।

साध्वी कमल दीदी और वॉर्ड 25 की पार्षद निर्मला शर्मा ने मिलकर जयपुर नगर निगम के शीर्ष, महापौर अशोक लाहोटी को फोन कर गौमास का आरोप लगा कर होटल बन्द करवा दिया गया। मान लिजिए नगर निगम के कोई भी नियम का उल्लंघन किया गया तो क्या होटल रब्बानी को सौकाज नोटिस भेजकर उनका पक्ष सुनकर कार्यवाही नहीं करनी थी?

व साफ सफाई करने वाले 18 वर्षिय कासिम की जमकर पीटाई की गई और पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर धारा 151 में पाबन्द कर दिया गया, धार्मिक भावनाओं पर आहत पहुंचाने के विरोध में एफ.आई.आर. दर्ज कर दी गई, कचरे में फिके मीट के अवशेस को जांच के लिए भेज दिया गया और मिनटों में होटल में परिवार सहित रह रहे मेहमानों को खाली करवाया व नगर निगम अधिकारी को बुलाकर होटल को सील कर दिया गया।

महोदय लाहोटी साहब,

आपने तो केवल अफवाह पर यह सब कर दिया और 12.37AM पर निम्न मैसेज भेजा ''होटल हायात, KC रोड़ बनीपार्क द्वारा गौ माता को बीफ खिलाने के दु:साहस करने पर नगर निगम जयपुर (Team Jaipur) के अधिकारियों को रात्री 11 बजे मौके पर भेज कर होटल को Seize किया गया)। इससे स्पष्ट है कि अभी जांच द्वारा अभी कुछ भी तय नहीं हुआ कि जो नगर निगम के कचरा पात्र में डाला गया में क्या गोश्त था, उससे पहले आपने फैसला दे दिया कि बीफ खिलाया गया।

महोदय,

जिस तरह जयपुर की पुलिस व जयपुर नगर निगम ने गौरक्षक दल के सामने घुटने टेक कर काम किया और कानून की सारी सीमा लांगते हुये इस हमले को खुल्लम खुल्ला होने दिया व एक अच्छा चलते हुये होटल व्यवसाय को बन्द कर दिया गया, स्पष्ट है कि यह हमला कोई साधारण कृत्य नहीं बल्कि दोनो एजेन्सीयों का एक तरफा हिन्दुत्ववादी चरित्र को सामने लाता है।

कोई भी धर्म का हो स्वतंत्र रूप से जिने व व्यवसाय करने के संवैधानिक हक हैं, जिसे उपरोक्त घटना में रब्बानी होटल के मालिक को घटा दिया गया। साथ ही जयपुर में समुदायों के बीच बना सदभाव व सौहार्द्ध पर ठेस पहुंचाई गई

हमारी मांग है कि :–

1. 20 मार्च की रात होटल हैयात रब्बानी के विरूद्ध असवेधानिक कार्यवाही करने में शामिल सभी पुलिसकर्मी पुलिस उपायुक्त अशोक कुमार, बनीपार्क थाना इंचार्ज व अन्य सहित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये। उन्हें निलम्बित किया जाये।
2. एफ.आई.आर. 45/2017 को तत्काल बन्द कर दिया जाये।
3. नईम रब्बानी द्वारा भेजी एफ.आई.आर. को तत्काल दर्ज किया जाये व उचित धाराओं में जांच कर साध्वी कमल दीदी, शामिल पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्यवाही की जाये।
4. होटल हैयात रब्बानी की सील को तुरन्त खोली जाये। अगर कोई मसला नगर निगम को नियम उल्लंघन बतौर है तो उन्हें प्रक्रिया के तहत बुलाया जाये।
5. प्रदेश के सौहार्द्ध व समुदायों के बीच सदभाव बनाये रखने में यह उपरोक्त कार्य करना बहुत जरूरी है।

हम हैः–

पी.यू.सी.एल. राजस्थान व जिला जयपुर ईकाई, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी मार्कवादी जयपुर जिला ईकाई, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी जयपुर इकाई, समता ज्ञान विज्ञान मंच, जमायते इस्लामी हिन्द राजस्थान, स्टूडेण्ट स्लामिक संगठन, वैलफेयर पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले), जनवादी महिला समिती, नैशनल फेडरेशन ऑफ इण्डियन वूमन, शहरी गरीब रोजगार आवास अभियान मोर्चा राजस्थान, नैशनल मुस्लिम विमन वेलफेयर सोसायटी, सॉशल डेमोक्रेटीक पार्टी ऑफ इण्डिया, राजस्थान समग्र सेवा संघ, ऑल इण्डिया दलित महिला अधिकार मंच, दलित अधिकार मंच, जयपुर नागरिक मंच, हुमन राईटस लॉ नेटवर्क जयपुर इकाई, सूचना एवं रोजगार अधिकार मंच।

सम्पर्क : कविता श्रीवास्तव–9351562965, पप्पू–9887158183, सुमित्रा चोपड़ा–9414078136, निशा सिद्धू–9414443607